न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 156 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 235

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार अनूपगढ़ –प्रार्थी

बनाम

1. हेतराम पुत्र मानाराम जाति जाट साकिन ढाबां तहसील अनूपगढ़ –अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रार्थी
2. श्री तिलकराज चुघ, अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :06.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा राजस्थान स्टेट की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील अनूपगढ़ के ग्राम ढाबां में खसरा सं. 69 में कुल 101.09 बीघा व खसरा सं. 63 में 63.14 बीघा कुल 165.03 बीघा भूमि जोहड़ दर्ज थी। उपनिवेशन विभाग की चकबन्दी के दौरान उक्त रकबा चक 3 एनएम के प.नं. 44 / 52 कि.नं. 1 ता 25 कुल 25 बीघा रकबा सीमांकित किया गया। उक्त वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित थी। तथा वर्षा के जल के भराव तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गयी थी। उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर कानूनी हैं। राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती तथा ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते।

   इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं. 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में दिनांक 02.08.2004 को निर्णय पारित किया गया हैं। साथ ही याचिका सं. 11153 / 2011 सुओमोटो बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 में जोहड़ नाला, तालाब नदी के कैचमेन्ट ऐरिया की भूमि के आवंटन को अवैध माना हैं। उक्त निर्णय द्वारा ऐसे आवंटनों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील सं. 1132 / 11 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिनांक 28.01.2011 को इसी प्रकार का आदेश पारित किया गया हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र सं. प.10(3) राज–6 / 2001 पार्ट / 5 दिनांक 26.06.2012 एवं परिपत्र सं. प.3(146)राज–7 / 2011 दिनांक 26.06.2012 जारी किये गये हैं।

   उक्त भूमि जोहड़ की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) व 16(6) के अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। भूमि का आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। जोहड़ हेतु आरक्षित उक्त भूमि में से वर्तमान जमाबंदी अनुसार चक 3 एनएम के प.नं. 44 / 52 मु.नं. 61 कि.नं. 19 से 25 कुल 1.771 [illegible] प्रार्थी के दादा को आवंटन थी जो वर्तमान रिकार्ड में पौत्र अप्रार्थी को [illegible] 1974 को डी श्रेणी में आवंटित की गई थी जो अप्रार्थी [illegible] अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने [illegible] कर भूमि गै.मु. जोहड़ [illegible] किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान [illegible] जमेर को रेफरेंस किये [illegible] हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:00 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाब अप्रार्थी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जवाब बंद किया गया।
3. प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि जोहड़ की थी, जो आवंटित नहीं की जा सकती थी। आवंटन

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं। इसलिए आवंटन निरस्त करने तथा भूमि को रिकार्ड में गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने के आदेश के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस करने के लिए निवेदन किया।

अप्रार्थी अधिवक्ता बहस में निवेदन किया कि रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय नहीं हैं। रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को ही प्रस्तुत किया जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की जिस भूमि को जोहड़ पायतन की भूमि होना अंकित किया गया है, वह सही नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की भूमि का जोहड़ होने का कथन बिना किसी जांच के किया गया हैं। उक्त भूमि पर कभी जोहड़ होने संबंधित कोई साक्ष्य भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रार्थी अप्रार्थी के भूमि आवंटन को पूर्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि जोहड़ होने के कारण निरस्त करवाना चाहते हैं, इसलिए इस तथ्य को सिद्ध करने का भार भी प्रार्थी पर था लेकिन प्रार्थी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि –

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – *The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;*

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

5. धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप हैं।

6. प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज जमाबंदी, सूची नं. 4 आदि के अनुसार प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन नहीं की जा सकती थी। अतः उक्त भूमि का पारित आवंटन आदेश अवैध होने के कारण आवंटन खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से रेफरेंस किये जाने की हद तक स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार अनूपगढ़ के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.0_.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़